HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON WEDNESDAY, THE 16TH MARCH, 2022 AT 10.00 A.M.

I. <u>QUESTIONS.</u>

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. <u>CALLING ATTENTION NOTICE</u>

Calling Attention Notice No. 19

regarding giving compensation to the farmers whose crops have been damaged due to unseasonal rain and hailstorm, given by **Smt. Kiran Choudhry**, **MLA**.

Calling Attention Notice Nos. 40 (Shri Abhay Singh Chautala, MLA), 60 (Shri Chiranjeev Rao, MLA) and Adjournment Motion No. 4 converted into Calling Attention Notice No. 74 (Shri Jagbir Singh Malik, MLA, Shri Aftab Ahmed, MLA, Shri Varun Chaudhary, MLA, Shri Indu Raj, MLA, Shri Mamman Khan, MLA, Shri Mewa Singh, MLA, Smt. Geeta Bhukkal, MLA, Shri Balbir Singh, MLA, Shri Jaiveer Singh, MLA, Smt. Shakuntala Khatak, MLA, Shri Kuldeep Vats, MLA, Shri Bishan Lal, MLA, Smt. Renu Bala, MLA, Shri Sishpal Singh, MLA and Shri Shamsher Singh Gogi, MLA) on the similar subject clubbed with Calling Attention Notice No. 19. The Hon'ble Members may also raise supplementary at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 19.

III. BUDGET FOR THE YEAR 2022-2023.

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION on the Budget Estimates for the year 2022-2023.

IV. PRESENTATION OF REPORT OF THE ASSEMBLY COMMITTEES.

1. THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND BACKWARD CLASSES

to present the Forty Fifth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2021-2022 on the reservation/ representation of Scheduled Scheduled Tribes and Backward Classes in various departments, Central/State Government's Schemes applicable, facilities provided under the Scheduled Castes Sub Plan outlay and stipend to the students of SC category, the matter of atrocities caused against the Scheduled Castes categories and compensation granted to them, 100-100 square yards plots allotted by the Development and Panchayat Department & the houses allotted under the "Pardhan Mantri Awas Yojna" to the reserved categories & Food items providing under the National Food Security Act etc. and action taken by the concerned departments on the recommendations/ observations of the Committee.

2. THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS

to present the Seventeenth Report of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions for the year 2021-2022 on Annual Technical Inspection Report on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 & 2016-2017 Audited by the Principal Accountant General (Audit), Haryana. & Annual Audit Reports of Municipal Corporations Gurugram & Faridabad for the year 2018-2019 and Annual Audit Report of the Local Audit Department Haryana on the Accounts of Panchayati Raj Institutions (PRIs) for the year 2015-2016 audited by the Director, Local Audit Department, Haryana.

V. OFFICIAL RESOLUTION

A MINISTER to move- "That whereas the Parliament enacted the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Central Act 16 of 2011), to provide for the regulation of removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matter connected therewith or incidental thereto:

And whereas the Central Government has appointed the 28th September, 2011, as the date on which the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Central Act 16 of 2011), shall come into force in the States of Goa, Himachal Pradesh and West Bengal and in all the Union Territories;

And whereas sub-sections (2) and (3) of section 1 of the said Act provide that it shall come into force in any other State which adopts this Act by resolution passed in that behalf under Clause (1) of article 252 of the Constitution of India, on the date of such adoption;

And whereas the State of Haryana intends to adopt the amendment of the said Act so as to regulate the removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith or incidental thereto in the State of Haryana effectively;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of clause (1) of article 252 of the Constitution of India and sub-sections (2) and (3) of section 1 of the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Central Act 16 of 2011), this House of the Legislature of the State of Haryana hereby resolves to adopt the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011 (Central Act 16 of 2011), so as to regulate the removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for matters connected therewith or incidental thereto in the State of Haryana effectively."

VI. <u>LEGISLATIVE BUSINESS.</u>

(i) (Bill for introduction, consideration and passing)

The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2022

A MINISTER

to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill;

to move that the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

(ii) (Bills to be introduced)

 The Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Amendment Bill, 2022 A MINISTER

to introduce the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Amendment Bill.

2.	The Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority (Amendment) Bill, 2022	A MINISTER	to introduce the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority (Amendment) Bill.
	(iii) (Bills for consideration	and passing)	
1.	The Haryana Laws (Special Provisions) Amendment Bill, 2022	A MINISTER	to move that the Haryana Laws (Special Provisions) Amendment Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.
2.	The Haryana Repealing Bill, 2022	A MINISTER	to move that the Haryana Repealing Bill be taken into consideration at once;
			Also to move that the Bill be passed.
3.	The Haryana Fire and Emergency Services Bill, 2022	A MINISTER	to move that the Haryana Fire and Emergency Services Bill be taken into consideration at once;
			Also to move that the Bill be passed.
4.	The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2022	A MINISTER	to move that the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once;
			Also to move that the Bill be passed.
5.	The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022	A MINISTER	to move that the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once;
6.	The Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022	A MINISTER	Also to move that the Bill be passed. to move that the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once;
7.	The Sports University of Haryana Bill, 2021 (as reported by the Select Committee)	A MINISTER	Also to move that the Bill be passed. to move that the Sports University of Haryana Bill be taken into consideration at once;
			Also to move that the Bill be passed.

CHANDIGARH: THE 15TH MARCH, 2022.

RAJENDER KUMAR NANDAL, SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 16 मार्च, 2022 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. ध्यानाकर्षण सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-19

श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए. द्वारा जिन किसानों की फसलें बेमौसमी वर्षा तथा ओला—वृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, को मुआवजा देने के संबंध में दी गई सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 40 (श्री अभय सिंह चौटाला ,एम.एल.ए.), 60 (श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए.) तथा स्थगन प्रस्ताव संख्या 4 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 74 में परिवर्तित कर दिया गया, (श्री जगबीर सिंह मिलक, एम.एल.ए, श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए, श्री वरूण चौधरी, एम. एल.ए, श्री इन्दूराज, एम.एल.ए, श्री मामन खान, एम.एल.ए, श्री मेवा सिंह, एम.एल.ए, श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए, श्री बलबीर सिंह, एम.एल.ए, श्री जयवीर सिंह, एम.एल.ए, श्रीमती शकुन्तला खटक, एम.एल.ए, श्री कुलदीप वत्स, एम.एल.ए, श्री बिशन लाल, एम.एल.ए, श्रीमती रेनू बाला, एम. एल.ए, श्री शीशपाल सिंह, एम.एल.ए, श्री शमंशेर सिंह गोगी, एम.एल.ए.), द्वारा समान विषय पर दी गई सूचना को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19 के साथ क्लबड़ कर दी है। माननीय सदस्यगण भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19 पर चर्चा के समय अनुपूरक उठा सकते हैं।

III. वर्ष 2022-2023 के लिए बजट

वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण ।

IV. विधान सभा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के चेयरपर्सन केन्द्रीय/राज्य सरकार की लागू योजनाओं, अनुसूचित जातियों की उप योजना परिव्यय के अधीन सुविधाएं प्रदान करने तथा अनुसूचित जातियों की श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए वजीफा देने, अनुसूचित जातियों की श्रेणियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामले तथा उन्हें मुआवजा देने, विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा 100—100 वर्ग गज के प्लाट आबंटित करने तथा आरक्षित श्रेणियों को "प्रधानमंत्री आवास योजना" के अधीन मकान आबंटित करने तथा "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम" इत्यादि के अधीन खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने तथा समिति की सिफारिशों/अवलोकनों पर संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण/प्रतिनिधित्व पर वर्ष 2021—2022 के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सिमिति की दिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बंधी समिति के चेयरपर्सन निदेशक, स्थानीय लेखा—परीक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित वर्ष 2015—2016 के लिए पंचायती राज संस्थानों के लेखों पर स्थानीय लेखा विभाग हरियाणा की वार्षिक लेखा रिपोर्ट तथा वर्ष 2018—2019 के लिए नगरपरिषद गुरूग्राम तथा फरीदाबाद की वार्षिक लेखा रिपार्ट तथा वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट पर स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थानों के लिए वर्ष 2011—2012, 2012—2013, 2013—2014, 2014—2015, 2015—2016 तथा 2016—2017 के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा) हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षित पर स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों के लिए समिति की वर्ष 2021—2022 की 17वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

\mathbf{V} . सरकारी संकल्प

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे— "चूंकि संसद, द्वारा चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अगों को निकालने, उनके भण्डारण और प्रतिरोपण के विनियमन के लिए तथा मानव अंगों के वाणिज्यिक संव्यवहार की रोकथाम के लिए तथा उससे सम्बद्ध अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम 16) अधिनियमित किया गया;

और चूंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा 28 सितम्बर, 2011 को ऐसी तिथि के रूप में नियत किया गया है, जिसको मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम 16) गोवा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों में लागू होगा;

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) तथा (3) यह उपबन्धित करती हैं कि यह किसी अन्य राज्य में ऐसे प्रस्ताव की तिथि से लागू होगा, जिसके द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन इस निमित्त प्रस्ताव पारित करते हुए इस अधिनियम का अंगीकरण करते हैं:

. और चूंकि हरियाणा राज्य उक्त अधिनियम के संशोधन का अंगीकरण करना चाहता है ताकि हरियाणा राज्य में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को निकालने, उनके भण्डारण तथा प्रतिरोपण तथा मानव अंगों के वाणिज्यिक संव्यवहार की प्रभावकारी रोकथाम तथा उससे सम्बद्ध अथवा उसके आनुषंगिक मामलों को प्रभावी रूप से विनियमित किया जा सके;

अब, इसलिए, भारत संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) तथा मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 1 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधानमण्डल का यह सदन, इसके द्वारा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम 16) का अंगीकरण करने का प्रस्ताव करता है, तािक हरियाणा राज्य में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को निकालने, उनके भण्डारण और प्रतिरोपण तथा मानव अंगों के लिए वािणिज्यक संव्यवहार की रोकथाम तथा उससे सम्बद्ध अथवा उसके आनुषंगिक मामलों को प्रभावी रूप से विनियमित किया जा सके।"

VI. विधान कार्य

(i) (प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

हरियाणा विनियोग एक मंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक को पुर:स्थापित (संख्या 1) विधेयक, 2022 करेंगे;

> प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

हरियाणा यांत्रिक यान एक मंत्री हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) संशोधन
 (पथकर-उद्ग्रहण) संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;
 विधेयक, 2022

 हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, एक मंत्री विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक,
 2022

हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;

(iii) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) **एक मंत्री** प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2022 संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

2. हरियाणा निरसन विधेयक, **एक मंत्री** प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा निरसन विधेयक पर तुरन्त 2022 विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

 हरियाणा अग्निशमन तथा एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक, आपातकालीन सेवा विधेयक पर तुरन्त विचार किया 2022 जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

4.. हरियाणा नगरपालिका **एक मंत्री** प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) (संशोधन) विधेयक, 2022 विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

5. हरियाणा नगर निगम **एक मंत्री** प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) (संशोधन) विधेयक, 2022 विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

6. हरियाणा सहकारी सोसाइटी **एक मंत्री** प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

हिरयाणा खेलकूद एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिरयाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विधेयक, विधेयक पर तुरन्त विद्यार किया जाए;
 2021(प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित)
 यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़ः 15 मार्च, 2022 राजेन्द्र कुमार नांदल, सचिव।